राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण येाजना –'सबला'

24 जनवरी 2011 से भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 10 जिलों यथा बांसवाडा, बाडमेर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाडा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड, जोधपुर एवं उदयपुर के 114 ब्लॉक्स के 24265 आंगनबाडी केन्द्रों पर 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की सशक्तीकरण के लिये **राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण येाजना– 'सबला'** का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना के उद्देश्य–

- आत्मविश्वास एवं सशक्तीकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना।
- उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
- स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.) और परिवार एवं बाल देख–रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- उनके घरेलू कौशल, जीवन कौशलों का उन्नयन करना एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना।
- पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

लक्षित समूह–

लक्षित समूह में चयनित जिलों में सभी आई.सी.डी.एस परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली 11–18 वर्ष की पढ़ाई छोड़ चुकी सभी किशोरियों को सम्मिलित किया गया है।

योजना की सेवायें : योजनाओं की सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है '–

(i) **पोषण** : प्रत्येक किशोरी को वर्ष में 300 दिन कम से कम 600 कैलोरी एवं 18.20 ग्राम प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति दिन जाता है। आंगनबाडी केन्द्र पर आ रही पढाई छोड चुकी किशोरियों (11 से 14 वर्ष) तथा सभी लडकियों (15–18 वर्ष) को घर ले जाने वाले राशन के रूप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

(ii) **आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण** : प्रत्येक किशोरी को सप्ताह में एक आयरन फोलिक एसिड की गोली सत्रों के दौरान दी जाती है। किशोरियों आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी पूरी करने के लिए इन गोलियों द्वारा अनुपूरण के लाभों के बारे में जानकारी ए.एन.एम./आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा दी जाती है।

(iii) **स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाए** : सभी किशोरियों को तीन माह में कम स कम एक बार विशिष्ट दिवस पर, जिसे किशोरी दिवस कहा जाता है, स्वास्थ्य जांच की जाती है। किशोरी दिवस का आयोजन आंगनबाडी केन्द्र पर त्रैमासिक किया जाता है, जिसमें किशोरी बालिकाओं की बी.एम. आई. स्केल माप से स्वास्थ्य जांच, ऊंचाई, वजन, संदर्भ सेवाऐं व चर्चा के माध्यम से स्वच्छता एवं पोषण संबंधित आधारभूत जानकारी दी जाती है। इसमें चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम. व आशा सहयोगिनी की सहायता ली जाती है। आवश्यकता पडने पर डीवार्मिंग टेबलेट भी दी जाती है। किशोरी बालिकाओं को आवश्यकतानुसार संदर्भ सेवाऐं जैसे कुपोषण, माहवारी की समस्या, लगातार सिरदर्द की समस्या व अन्य समस्याओं पर संदर्भ सेवाऐं दी जाती है।

(iv)**एन.एच.ई. (पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा)** आंगनबाडी केन्द्र पर आने वाली प्रत्येक किशोरी बालिका को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सही व प्रासंगिक जानकारी पी.ओ., सी.डी.पी.ओ., स्वास्थ्य कर्मीयों, विषय विशेषज्ञ महिला पर्यवेक्षक द्वारा दी जाती है, जिसमें उनके शारीरिक व मातृत्व विकास की

जानकारी प्रदान की जाती है। किशोरी बालिकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर जानकारी सत्रों के माध्यम से दी जाती है।

(v) **परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्धतियां एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन** : किशोरी बालिकाओं को सत्रों का आयोजन कर प्रजनन यौन स्वास्थ्य/एड्स, गर्भ निरोध, बाल देख–रेख पद्धति, स्तनपान, गृह–प्रबंधन की जानकारी ए.एन.एम, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एन.जी.ओ. के माध्यम से जानकारी जाती है।

(vi) **जीवन कौशल शिक्षा** : जीवन कौशल में किशोरियों को जीवन कौशल संबंधी प्रशिक्षण में प्रमुख विषय यथाः आत्मविश्वास, आत्मज्ञान व स्व–निर्णय, विपत्तियों एवं साथियों से प्रतिस्पर्द्धा के दबावों का सामना करने की क्षमता विकसित की जाती है, ताकि वे रोजमर्रा की जिन्दगी की जरूरतों एवं चुनौतियों का कारगर रूप से सामना करने में सक्षम बन सके।

(vii) **सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच** : किशोरियों को मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं यथाः बैंक, पोस्ट ऑफिस, कलक्ट्रेट, चिकित्सालय, सरकारी उपक्रमों, डाकघर इत्यादि स्थानों का भ्रमण करवाकर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दी जाती है, ताकि भविष्य में उक्त सेवाओं की आवश्यकता पडने पर किशोरी बालिकाओं की पहुंच सेवाओं तक हो सके।

(vii) **व्यावसायिक प्रशिक्षण** : 16 – 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को व्यवसाय संबंधी कौशल प्रदान किया जाता है, ताकि वे प्रशिक्षण के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर सकें। किशोरी बालिकाओं को निम्न ट्रेड्स पर प्रशिक्षण दिया जाता है :–
सॉफ्ट टॉयज, टाई एण्ड डाई, ज्वैलरी मेकिंग, कशीदाकारी, साबुन सर्फ बनाना, निफाफे फाईल कवर बनाना, मसाले तैयार करना, खाद्य प्रसंसकरण एवं परिरक्षण, ब्यूटीशियन, अचार मुरब्बे, पेपरमेशी, सेनेट्री नेपकिन, पेकिंग, सिलाई, बुनाई, ब्लाक प्रिटिंग, हैण्ड पम्प सुधारना, अगरबत्ती बनाना, आरीतारी, झाडू बनाना, कपडे के बैग बनाना।

किशोरियों का सामूहिक वार्तालाप : योजना पढाई छोड़ चुकी किशोरियों पर केन्द्रित है। अतः स्कूल जा रही लड़कियां माह में दो बार व स्कूल की छुट्टियों के दौरान अधिक बार स्कूल छोड़ चुकी किशोकियों से सामूहिक वार्तालाप करेगी, ताकि पढाई छोड़ चुकी लड़कियां स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो सकें।

इस योजना के कियान्वयन के लिए बजट भारत सरकार से प्राप्त होता है।

वस्तुवार गैर–पोषण घटकों पर प्रति वर्ष प्रति परियोजना वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	मद	आई.सी.डी.एस. की प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि
1.	प्रशिक्षण किट प्रति आंगनबाडी केन्द्र 1000/रू की दर से	150000
2.	आई.ई.सी. समेत जीवन कौशल सम्बन्धी शिक्षा	50000
3.	सखी–सहेली के लिए प्रशिक्षण	40000
4.	आई.ई.सी. समेत एन.एच.ई घटक व सार्वजनिक सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन	30000
5.	व्यवसायिक प्रशिक्षण	30000
6.	विविध व्यय–किशोरी दिवस मनाने हेतु व्यय आदि	30000
7.	अन्य–स्वास्थ्य कार्डो की छपाई/रजिस्टर/उपकरण आदि।	30000
8.	आई.एफ.ए. का प्रबन्धन कराने में खर्च जहां आई.एफ.ए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है।	20000
	कुल योग	3,80,000